



## Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.

(A Government of Chhattisgarh Undertaking)  
LIC Campus, Pandri Raipur 492 004 (C.G)  
Phone 91-771-2583789-90, Fax : 0771-4091879  
Website: [www.csidc.in](http://www.csidc.in), Email : [csidc.cg@nic.in](mailto:csidc.cg@nic.in).

क्र./विपणन/2010/6134

दिनांक 04.09.2010

### विज्ञप्ति

सीएसआईडीसी विपणन कक्ष की निविदा में सम्मिलित होने वाले निविदाकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन निविदा में प्रस्तुत करना है:-

1. अ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निर्माता का, निविदा की सामग्री के लिए संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में स्थायी पंजीयन/पार्ट-2 की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा में ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
  - ब छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित निर्माताओं का, संबंधित एनएसआईसी/डीजीएसएंडडी में वैध पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा में ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
2. निविदाकर्ता का वैध आयकर एकांउण्ट नंबर (पैन नं0) अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
3. निविदाकर्ता का वैध टिन नंबर प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
4. यदि निविदा प्रपत्र में विशेष परिस्थितियों में वैध आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 की मांग की गई है, तब अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
5. यदि सामग्री आईएसआई मार्क चाही गई है तब निविदा खोलने के दिनांक तक वैध बीआईएस लाईसेंस अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
6. निविदा में निर्माता के वितरक/एजेंट के रूप में सम्मिलित होने की दशा में वितरक/एजेंट होने की अवधि दर्शाते हुए अनुबंध और निविदा प्रपत्र में उपलब्ध एनेक्शर -II पर निर्माता एवं वितरक के हस्ताक्षर सहित अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
7. निविदित सामग्री के तकनीकी मापदंड की सहमति निविदाप्रपत्र में उपलब्ध एनेक्शर -III पर देते हुए हस्ताक्षरित अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे।
8. अ. छत्तीसगढ़ राज्य के निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित ईएमडी में छूट का जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से जारी वैध सक्षमता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे। अथवा
  - ब. निविदाकर्ता निर्धारित ईएमडी बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन प्रस्तुत करना है।

प्रबंध संचालक